N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0007 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/01/2025 16:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/01/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/01/2025 **Time (समय):** 15:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/01/2025 16:37:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 04 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** purane collectrat ke main get, wali mukhya sadak, kachehri road

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Raman lal saini

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Surgyani saini

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Dhani dharawali, Bansur, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Dhani dharawali, Bansur, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Jitendra Meena		पिता:Suresh chand meena	1. Chhaju wala kua,Virkhana mohalla,Bansur,कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि इस समय मन उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी श्री रमन लाल सैनी पुत्र श्री सुरज्ञानी सैनी.जाति माली उम्र 31 निवासी ढाणी ढहरावाली तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड ग्राम हाल अध्यक्ष मास्टर माईन्ड एजूकेशन सोसायटी, नारायणपुर ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। जिसका मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री रमन लाल सैनी को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री रमन लाल सैनी ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैं master mind shiksha samiti नारायणपुर का अध्यक्ष हूं। समिती द्वारा कस्बा नारायणपुर में master mind public school नारायणपुर के नाम से संचालित हे किया जा रहा हैं। वर्तमान में उक्त विधालय किराये के भवन में चलाया जा रहा है। विधालय भवन के लिए दिनांक 30.03.2022 को समिति द्वारा श्री सुरज्ञानी पुत्र हजारी लाल निवासी नारायणपुर की 28.5 बिस्वा खातेदारी भूमी क्रय की गई तथा उक्त भूमी का भुगतान श्री सुरज्ञानी को समिती के चैक से किया गया था। हमारे द्वारा श्री सुरज्ञानी की जमीन खरीदने के बाद उसकी बहन श्रीमति मोहिनी देवी व चचेरे भाई मंगतराम द्वारा SDM कोर्ट नारायणपुर में बटवारे का दावा लगा दिया, उक्त दावें के बाद मैनें भी SDM कोर्ट नारायणपुर में दावा लगाया। SDM कोर्ट द्वारा उक्त दावों का दिनांक 06.03.2024 को हमारे पक्ष में तकाशमा का निर्णय दिया गया। जिसके निर्णय पर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया। SDM कोर्ट ने इजराय प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नारायणपुर को दिनांक 12.03.2024 को पालना का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार महोदय नारायणपुर द्वारा हमारी क्रय भूमी का पृथक से खाता नं. 190 जारी कर दिया। जिसका राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जा चुका हैं। सभी कार्यवाही नियमानुसार होने के बावजूद भी RAA अलवर कार्यालय में कार्यरत बाबू श्री जितेन्द्र द्वारा हमारे विक्रेता पक्ष के परिजनों से मिलीभगत करके उक्त निर्णय के विरूद्ध में एक स्टे राजस्व मण्डल अजमेर से एवं दूसरा स्टे RAA अलवर से दिनांक 27.11.2024 को करवा दिया तथा राजस्व रिकोर्ड में दिनांक 10.12.2024 को नोट लगवा दिया। मेरे द्वारा त्।। अलवर में कविएट लगाने के बावजूद भी श्री जितेन्द्र बाबू ने RAA अलवर के कार्यालय में हमारे खिलाफ स्टे लगवा दिया। इस पर मैं दिनांक 12.12.2024 को श्री जितेन्द्र से मिला तो उसने मुझसे कहा कि स्टे हटवाना है तो 1,50,000/- (शब्देन एक लाख पचास हजार रूपये) दे दो अगली तारीख को स्टे को खारिज कर दूंगा। श्रीमान मेरी श्री जितेन्द्र को से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। मै श्री जितेन्द्र बाबू .को रिश्वत नहीं देना चाहता और रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ्। केस से संबंधित दस्तावेज मेरे आधार कार्ड की प्रति समिति के दस्तावेज आप को पेश कर रहा हूँ्। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री रमन लाल सैनी ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की। जिसको शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाता है। तत्पश्चात वक्त करीब 12.40 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी से श्री रामजीत कानि 206 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस. डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री रमन लाल को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री रामजीत कानि0 206 को जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री जितेन्द्र बाबू के पास जाकर, स्कूल मास्टर माईण्ड ऐजूकेशन सोसायटी नारायणपुर की क्रय शुदा भूमि पर उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के आदेश दिनांक 6.3.24 के विरूद्ध श्रीमती मोहनी देवी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को खारिज करवाने के क्रम में श्री जितेन्द्र बाबू द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा उक्त से हुई वार्ताओं को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन पुलिस उप अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें, साथ ही श्री रामजीत कानि 206 को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देष कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार एस.ओ के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व

संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ताओं को सुनने का प्रयास करे। परिवादी व कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये परिवादी द्धारा लाई गई कार से रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 2.25 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री रामजीत कानि 206 मय परिवादी श्री रमन लाल सैनी के ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री रामजीत कानि0 ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रमन लाल सैनी ने बताया कि आज मैं व आपके कार्यालय के कर्मचारी श्री रामजीत कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय के साथ अलवर से मेरी कार से रवाना होकर पुरानी कलक्ट्रेट के मुख्य द्वार से थोडी दूर पर कार को रोककर साईड में खडी करने के बाद गाडी में बैठे बैठे ही विभागीय टेप रिकॉर्डर श्री रामजीत कानि.द्धारा चालू कर मुझे सुपुर्द किया इसके बाद में और श्री रामजीत कानि. मेरी कार से नीचे उताकर मै वहा से रवाना होकर श्री जितेन्द्र कुमार के पास राजस्व अपील अधिकारी स्टाम्प कार्यालय में पहुंचा। और श्री रामजीत कानि. बाहर खडा हो गया। यहा पर श्री जितेन्द्र कुमार अपनी सीट पर बैठे हुये मिले। जिससे मैने नमस्कार कर हाल चाल पूछा उसके बाद श्री जितेन्द्र कुमार मेरे साथ बातचीत करते हुये मुझे चाय पीने की कहकर मुझे बाहर लेकर आ गये। जहा पर चाय की दुकान पर आये जहां पर बैठकर मेरे द्धारा आरएए न्यायालय में चल रहे हमारे केस के बारे में व स्टे हटवाने के सबंध में बातचीत की तो श्री जितेन्द्र कुमार ने उक्त स्टे हटाने के बारे में मुझसे बातचीत की और पहले तो मुझसे स्टे हटाने के नाम का तीन-चार लाख रूपये देने के लिए कहा, जिस पर मैने तीन चार लाख रूपये ज्यादा हो जाने के बारे में कहा तो उसने पहले जो मेरे द्धारा पूर्व में एक लाख पतालीस हजार रूपये श्री जितेन्द्र को दिये थे, उसमें दस बीस हजार कुछ उपर नीचे कर लो जिस पर श्री जितेन्द्र कुमार ने कहा कि मै बात करूगा हा करेगी तो मै एक दो दिन में आपको बता दूंगा। इसके बाद जितेन्द्र कुमार अपने कार्यालय में चला गया और मै गाडी के पास श्री रामजीत कानि. 206 के पास पहुंचा जो हमे वहा से खडा हुआ देख रहा था। इसके बाद श्री रामजीत कानि. ने मुझसे विभागीय टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद हम दोनो वहा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय अलवर आये। इस मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा उपस्थित श्री रामजीत कानि से पूछने पर श्री रामजीत कानि0 ने भी परिवादी द्धारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा श्री रामजीत कानि. द्धारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार द्धारा परिवादी श्री रमन लाल सैनी की स्कूल मास्टर माईण्ड एजूकेशन सोसायटी नारायणपुर की क्रय शुदा भूमि पर उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के आदेश दिनांक 6.3.24 के विरूद्ध श्रीमती मोहनी देवी द्धारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय द्धारा जारी स्थगन आदेश को खारिज करवाने की एवज में 1 लाख 45 हजार रूपये मे दस बीस हजार रूपये उपर नीचे करने की कहना एवं संबंधित अधिकारी से बातचीत कर एक दो दिन में बताना कहना पाया गया रिकॉड वार्ता अनुसार आरोपी द्धारा पूर्ण रूप से स्पष्ट मांग करना नही पाया जाने पर आरोपी द्धारा एक दो दिन बाद बुलाये जाने पर पुनः मांग सत्यापन की वार्ता करवाई जावेगी। इस पर परिवादी ने बताया की आरोपी जितेन्द्र बाबू मुझे कभी भी कॉल कर बुला सकता है, इस मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 पी. एम मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रमनलाल सैनी को आरोपी द्धारा जब भी बुलाने के लिये फोन आये तो इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिये एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 06.01.2025 को वक्त करीब 2.00 पी.एम पर परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये कॉल अवगत कराया आरोपी का फोन आया है, उसने कल दिनांक 07.01.2025 को उनके ऑफिस आने के लिये कहा है। इस पर परिवादी को कल दिनांक 07.01.2025 को कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 2.30 पी.एम पर परिवादी से हुई वार्ता अनुसार परिवादी को आरोपी द्धारा कल दिनांक 07.01.2025 को बुला जाने बाबत अवगत कराया है, कार्यवाही में रिश्वत मांग का पुनः सत्यापन करवाया जाना है, तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को कल दिनांक 07.01.25 को अन्य प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति में विचार विमर्श करने हेतु जयपुर जाना है, अतः दिनांक 13.12.2024 को रिकार्डशुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे एसडी मैमोरी कार्ड में सुरक्षित है को विभागीय डिजिटल में लगे हुये को ही जो कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया था, उक्त विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकालकर श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द किया गया व कल दिनांक 07.01.2024 को परिवादी के उपस्थित आने पर श्री रामजीत कानि. को परिवादी के साथ भिजवाया जाकर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 2.45 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के प्राप्त कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 07.01.2024 को वक्त करीब 12.15 पी.एम पर मन सहायक उप निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री रमनलाल सैनी ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया। जिसे मन सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्धारा परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तत्पश्चात वक्त करीब 12.55 पी.एम पर मन सहायक उप निरीक्षक द्धारा कार्यालय की अलमारी से श्री रामजीत कानि 206 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में पूर्व में लगे हुये एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को लगा

होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री रमन लाल एवं श्रीमती सुनीता महिला हैड कानि. के समक्ष श्री रामजीत कानि0 206 को जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री जितेन्द्र बाबू के पास जाकर, स्कूल मास्टर माईण्ड एजूकेशन सोसायटी नारायणपुर की क्रय शुदा भूमि पर उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के आदेश दिनांक 6.3.24 के विरूद्ध श्रीमती मोहनी देवी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय एवं राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा जारी स्थगन आदेश को खारिज करवाने के क्रम में श्री जितेन्द्र बाबू द्वारा पुनः रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा उक्त से हुई वार्ताओं को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन सहायक उप निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें, साथ ही श्री रामजीत कानि 206 को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देष कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार एस.ओ के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ताओं को सुनने का प्रयास करे। परिवादी व कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये परिवादी द्वारा लाई गई कार से मुताबिक निर्देष श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस के रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.00 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री रामजीत कानि 206 मय परिवादी श्री रमन लाल सैनी के ब्यूरों कार्यालय में मन सहायक उप निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और श्री रामजीत कानि0 ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन सहायक उप निरीक्षक को प्रस्तुत किया, जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रमन लाल सैनी ने बताया कि आज मैं व आपके कार्यालय के कर्मचारी श्री रामजीत कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर के साथ मेरी कार से रवाना होकर पुरानी कलक्ट्रेट के मुख्य द्वार के थोडी दूरी पर कार को रोककर साईड में खडी करने के बाद गाडी में बैठे बैठे ही मैने श्री जितेन्द्र बाबू को मेरे मोबाईल से फोन कर अलवर आने का बताया तो उसने मुझे पुरानी कलेक्ट्रेट के बाहर ही 10-15 मिनट इन्तजार करने के लिये कहा इसके बाद श्री रामजीत कानि द्वारा विभागीय टेप रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया इसके बाद श्री रामजीत कानि. मेरी कार से नीचे उतरकर साईड मे खडा हो गया। इसके बाद करीब आधे घण्टे बाद श्री जितेन्द्र बाबू मेरी कार के पास आया और मैने उसको मेरी गाडी मे बैठा लिया। इसके बाद मैने उनसे मेरे समिति के नाम खरीदी गई विधालय की जमीन पर राजस्व मण्डल अजमेर व आरएए अलवर द्वारा लगाये गये स्टे आदेश के बारे में बातचीत की तो जितेन्द्र बाबू ने मुझसे कहा की राजस्व मण्डल अजमेर व आरएए अलवर दोनो जगह से आपका स्टे हटवा दूंगा, आपको इसके लिये 1.50 लाख रूपये आपको मुझे देने पडेगे और 1.50 लाख रूपये की व्यवस्था कर एक दो दिन में आने के लिये कहा है, और मुझसे सत्यापन के दौरान ही 2000/- रिश्वत के श्री जितेन्द्र बाबू ने मुझसे रिश्वत के प्राप्त किये। उक्त सारी बाते मैने आपके विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है, तथा जितेन्द्र बाबू के जाने के बाद मैने श्री रामजीत कानि. को रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया जिसे श्री रामजीत कानि. ने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद हम दोनो मेरी कार से रवाना हो गये, रास्ते में मैने सारी बाते श्री रामजीत कानि को बता दी थी। इस पर उपस्थित श्री रामजीत कानि. से मन सहायक उप निरीक्षक के पूछने पर उसने परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद की। इसके बाद मन सहायक उप निरीक्षक ने विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना तो उसमे आरोपी द्वारा परिवादी के केस में लगे हुये स्टे आदेश को हटवाने की एवज में 1.50 लाख रिश्वत मांगने की वार्ता स्पष्ट रिकॉर्ड होना पाई गई। इसके बाद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मय एसडी कार्ड को बंद कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.00 पीएम पर परिवादी श्री रमन लाल सैनी को आरोपी द्वारा रिश्वत में मांगे गये 1.50 रूपये की राशी की व्यवस्था कर एक दो दिन में इस कार्यालय में उपिस्थत आने व गोपनीयता की मुनासिफ हिदायत के साथ कार्यालय से रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.01.2024 को वक्त करीब 10.00 ए.एम पर श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक ने परिवादी श्री रमन लाल सैनी व आरोपी जितेन्द्र बाबू के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.01.2025 को जो मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार करवाई गई थी, उक्त विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मय एसडी कार्ड मय फर्द सुपुर्दगी व वापसी के सहायक उप निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा मन उप अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। सुपुर्दशुदा उक्त रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो रिकॉर्डर मे आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 07.01.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता होना पाई गई। उक्त रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालत में कार्यालय की आलमारी मे रखवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.00 पी.एम पर परिवादी श्री रमन लाल सैनी ने श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक के जरिये कॉल कर बताया की आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशी 1.50 लाख रूपये में से 50 हजार रूपये राशी की ही व्यवस्था हो पाई है, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से वार्ता की गई तो परिवादी ने 1.50 लाख रूपये की व्यवस्था होने मे असमर्थता बताई, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को 50 हजार रूपये के अतिरिक्त आरोपी द्वारा 1.50 लाख रूपये मे से एक लाख रूपये के 500-500 रूपये के डमी नोटो की व्यवस्था कर कल दिनांक 09.01.2025 को समय 9.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु कहा। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही हेतु वक्त करीब 4.33 पी.एम पर गवाह पाबन्द करने हेतु श्री सुण्डाराम कानि. को राज्य कर विभाग अलवर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त् करीब 5.45 पी.एम श्री सुण्डाराम हैड कानि के हमराह राज्य कर विभाग अलवर से दो कर्मचारी उपस्थित एसीबी कार्यालय आये, उपस्थित कार्मिकों से मन

उप अधीक्षक पुलिस द्धारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री राहुल खांन हाल वरिष्ठ सहायक ,कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री भागचन्द हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर बताया जो मन उप अधीक्षक के समक्ष हाजिर कार्यालय आये है। उपस्थित दोनो कार्मिकों को कल दिनांक 09.01.2024 को समय 9.00 ए.एम पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत के साथ रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 09.01.2025 को वक्त करीब 9.20 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष परिवादी श्री रमन लाल सैनी ब्यूरों कार्यालय में अपनी कार से उपस्थित आया और मन उप अधीक्षक को बताया की आरोपी श्री जितेन्द्र बाबू द्धारा मांगी गई रिश्वत राशी 1.50 लाख रूपये (एक लाख पचास हजार) में से 50 हजार रूपये की ही व्यवस्था हो पाई थी, शेष 1 लाख रूपये के 500-500 के डमी करेंसी नोट आपके निर्देषानुसार लेकर आया हूं। परिवादी 50 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा राशी के एवं कुल राशी 1.50 लाख रूपये (एक लाख पचास हजार) साथ लेकर आया है। आमदा परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 9.30 पी.एम पर पाबन्दशुदा गवाह श्री राहुल खांन हाल वरिष्ठ सहायक , कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व श्री भागचन्द हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री रमन लाल सैनी का परिचय दोनों गवाहान श्री राहुल खांन हाल वरिष्ठ सहायक ,कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व श्री भागचन्द हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री रमन लाल सैनी द्धारा दिनांक 13.12.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री रमन लाल सैनी द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र बाबू, कार्यालय आरएए अलवर द्धारा मांगी जा रही रिश्वत राशी के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया तथा दिनांक 13.12.2024 व दिनांक 07.01.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी व आरोपी जितेन्द्र के मध्य रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री रमन लाला सैनी द्धारा अपनी आवाज व आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार बाबू कार्यालय आरएए अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। रिकार्ड वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों डीवीडीयों पर मार्क A-1 मार्क A-2 एवं मार्क A-3 अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री रमन लाल सैनी के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क A-1 व मार्क A-2 को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे० की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क A-1 व मार्क A-2 अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा सीडी मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं0 01 में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 2.55 पी.एम पर गवाह श्री राहुल खांन हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व श्री भागचन्द हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर, के समक्ष मन पुलिस उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रमन लाल यादव से संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र बाबू को रिश्वत मे दी जाने वाली राशी पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोट कुल राशि 50000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले "भारतीय मनोरंजन बैंक" के डमी करेंसी नोटों की 02 गड्डिया (जिनमें 500-500 रू. के 200 नोट) कुल दो सो नोट राशि 1,00,000/-रूपये अपने पास से निकालकर रिश्वत राशि के रूप में पेश किये। गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500 -500 रूपये के पचास हजार रूपये के नोटो का विवरण फर्द पेशकषी एवं सुपुर्दगी में अंकित करवाया जाकर उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 500 जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के (जिनमें 500-500 रू. के 200 नोट) कुल 200 नोट राशि 1,00,000 रूपये है। उक्त सभी डमी नोटो पर " भारतीय मनोरंजन बैंक" लिखा हुआ है तथा सभी डमी नोटों पर FULL OF FUN लिखा हुआ है, नम्बर अंकित नहीं है। उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोटो एवं डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 200 नोट पर पृथक पृथक फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री रामसिह कानि. 549 को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाई जाकर श्री रामसिहं कानि. 549 से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटो पर भलिभांति लगवाया गया तत्पश्चात

परिवादी श्री रमन लाल सैनी की जामा तलाशी गवाह श्री राहुल खांन से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल एवं परिवादी द्धारा लाई गई कार की चाबी, एक सफेद थैली को ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री रामसिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये डमी करेन्सी के 500-500 रूपये 200 नोटो की दो गड्डिया, को भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोटो की गड्डी के नीचे रखकर रबड बैण्ड लगाकर कुल 1.50 लाख रूपये की तीन गड्डियो को परिवादी के पास मौजुद सफेद थैली के अन्दर रखवाकर परिवादी को सुपुर्द किये गये, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊड युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त थैली से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्धारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपनी कार पार्किंग की लाईट जलाकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेनदेन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवष्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नया प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में श्री भास्कर हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि0 549 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री रमन लाल सैनी, दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन , गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा टै्रप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत राशी लेन देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरों विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय दिनांक 13.12.2024 व 7.01.2025 को हुई रिश्वत माँग सत्यापन की रिकॉर्डशुदा वार्तालाप के माईक्रो एस.डी. कार्ड Sandisk 32 GB सहित परिवादी की पहनी शर्ट की उपर की बाई साईड की जेब में रखवाया गया। श्री रामजीत कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों का विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालुकर के ही रवाना करे। श्री रामसिंह कानि0 549 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 3.56 पी.एम पर आरोपी जितेन्द्र बाबू की उपस्थिति की जानकारी के लिये परिवादी श्री रमन लाल के मोबाईल नम्बर[redacted] आरोपी जितेन्द्र बाबू के मोबाईल नम्बर [redacted]पर फोन करवाया गया तो आरोपी जितेन्द्र बाबू द्धारा फोन रिसीव नही किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.58 पी.एम पर परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया की आरोपी जितेन्द्र बाबू के मोबाईल नम्बर [redacted]से मेरे मोबाईल पर फोन आ रहा है, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा श्री रामजीत कानि. से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु करवाकर परिवादी के फोन को स्पीकर ऑन कर बातचीत की तो आरोपी द्धारा परिवादी को स्वयं के कार्यालय के बाहर आने के लिये कहने की वार्ता हुई। उक्त वार्ता को विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 4.05 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री राहुल खांन हाल वरिष्ठ सहायक ,कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व श्री भागचन्द हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ लेकर सरकारी वाहन मय चालक श्री इन्द्रजीत के व दो प्राईवेट मोटरसाईकिल से एक मोटरसाईकि पर भास्कर हैड कानि0 59, सुण्डाराम हैड कानि0 02 व दुसरी मोटरसाईकिल से भीम सिंह कानि. व नरेश शर्मा एएओ एवं परिवादी श्री रमन लाल सैनी व श्री रामजीत कानि. परिवादी की लाई हुई कार से परिवादी के साथ एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब पुरानी कलेक्ट्रट अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय करीब 4.52 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पुरानी कलेक्ट्रट अलवर के पास पंहुचे, जहां पर वाहनों को पुरानी कलेक्ट्रट अलवर के बाहर सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को उसकी कार के अन्दर ही डिजिटल टेपरिकॉर्डर श्री रामजीत कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मूनासिब हिदायत कर उसके कार्य के लिए संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र बाबू से वार्ता

करने व उसके आने के इंतजार में मन् उप अधीक्षक पुलिस व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर पुरानी कलेक्ट्रेट के बाहर आस पास खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे एवं आरोपी के कार के पास आया और परिवादी की कार में बैठ गया जिसे ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो द्वारा देखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 4.53 पी.एम पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रमन लाल सैनी ने पुरानी कलैक्ट्रेट के मैन गेट की मुख्य सडक पर खडी की हुई अपनी कार की पार्किग लाईट चालू कर समय 4.53 पीएम पर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा कार की पार्किग लाईट जलाकर किया जिसको मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के समस्त सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास उपरोक्त पुरानी कलैक्ट्रेट के मैन गेट की मुख्य सडक पर खडी की हुई कार के पास पहुंचा, ट्रेप पार्टी के पहूचने पर परिवादी ने कार का फाटक खोलकर परिवादी को पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन उप अधीक्षक द्वारा प्राप्त कर रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद परिवादी ने कार की पिछली सीट पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यह श्री जितेन्द्र मीणा, आरएए अलवर के बाबूजी है जिसने मेरे से मेरी समिति के विरूद्ध आरएए अलवर व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिये गये स्टे आदेश को हटाने के लिए मुझ से अभी अभी मेरी कार की पिछली सीट पर बैठकर 1.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर लिये और उक्त राशि को गिनने लगा इसी दौरान मैने आपको मेरी कार की पार्किग लाईट चालू कर रिश्वत राशी ग्रहण करने का ईशारा कर दिया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त परिवादी की कार में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को अपना एवं हमाराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तो आरोपी कुछ नही बोला और भागने का प्रयास करते हुये रिश्वत राशी को अपने पास से कार का फाटक खोलकर कार के निचे गिरा दिया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को स्टाफ की सहायता से पकडकर सीट पर बैठाया गया और उक्त व्यक्ति को तसल्ली देकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री सुरेष चन्द मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी छाजू वाला कुआ, वीरखाना मोहल्ला, तहसील कार्यालय बानसूर के पास बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड. हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर होना बताया। इस पर उक्त जितेन्द्र मीणा को परिवादी श्री रमन लाल सैनी से मांगी गई एवं आज अभी ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि श्री रमन लाला सैनी की विधालय की समिति को केस मेरे कार्यालय आरएए अलवर व राजस्व मण्डल अजमेर में चल रहा है, जिसमें आरएए अलवर व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्टे दिया गया है, ये मुझसे करीब 20-25 दिन पहले दिनांक 07.01.2025 को मुझसे आकर मिले थे, व मुझसे दोनो स्टे हटवाने के बारे मे बातचीत की तब मैने इनको स्टे हटवाने का 1.50 लाख रूपये का खर्चा बताया था। आप सब के गाडी के पास आने पर श्री रमन लाल सैनी जब आपसे बात करने लगा तब मुझे षक हो गया इस पर मैने रमन लाल द्वारा दिये गये 1.50 लाख रूपये को सफेद रंग की थैली सहित ही नीचे गिरा दिये। मैने रमन लाल सैनी से ना तो कोई रिश्वत की मांग की और ना ही रिश्वत राशि ली है। अभी इन्होने मुझे जबरदस्ती 150000/- रूपये दिये है जो अपने दाहिने हाथ में लेकर एक गड्डी हाथ में लेकर गिनने लगा इतने मे ही आप गये मैने आप को मेरी तरफ आते देखकर मैने रूपयो की थैली को कार के पिछले बाये फाटक से निचे गिरा दिये। जो अभी फाटक के पास निचे पडे हुये है। इसके बाद आरोपी के बताये अनुसार कार के पास दोनो गवाहान व स्टाफ द्वारा देखने पर कार के पिछले बाये फाटक की तरफ नीचे जमीन पर गिरी हुई एक सफेद रंग की थैली दिखाई दी जिसके पास ही 500-500 के नोटो की एक गड्डी बाहर दिखाई दी, जिसको गवाह श्री राहुल खान से कार के पिछले बाये फाटक के नीचे जमीन पर गिर हुई उक्त थैली व 500-500 रूपये की गड्डी को उठवाया गया और सफेद थैली में देखकर गवाह ने दो गड्डी और होना बताया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त थैली मे रखी दोनो गड्डी व बाहर मिली 500 -500 की एक गड्डी उक्त तीनो गड्डीयो को गवाह श्री राहुल खान के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त घटना स्थल मैन रोड पर होने के कारण अधिक भीडभाड इकट्ठा होने लगी एवं कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान नही होने के कारण आरोपी को परिवादी की कार में पिछली सीट पर बैठै हुये के साथ ही गवाह व परिवादी एवं एसीबी स्टाफ को बैठाकर व अन्य स्टाफ सदस्यो के साथ अन्य वाहन व मोटरसाइकिल से घटना स्थल से रवाना होकर पुरानी कलेक्ट्रेट में स्थित कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन एसीबी मामलात अलवर के पास पहुंचा जहां उपरोक्त दोनो गवाहान व परिवादी एंव ब्यूरो टीम व आरोपी सहित प्रवेश किया तथा उक्त सभी को उक्त कक्ष में ससम्मान कुर्सी पर बैठाया गया। एवं आरोपी के विरूद्ध की गई कार्यवाही पर आरोपी के निवास की खाना तलाशी हेतु श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी भिवाडी को निवेदन किया गया। फर्द बरामदगी व हाथ धुलाई शुरू की गई। इस पर उपस्थित परिवादी श्री रमन लाल सैनी ने बताया की यह बाबूजी साहब झूठ बोल रहा है। मेरे द्वारा मेरी समिति मास्टर माइण्ड शिक्षा समिति, के नाम से कस्बा नारायणपुर में 28.5 बिस्वा जमीन श्री सुरज्ञानी पुत्र श्री हजारी लाल निवासी नारायणपुर से खरीदी थी, मेरे द्वारा उक्त जमीन खरीदने के बाद सुरज्ञानी के परिजनो द्वारा एसडीएम नारायणपुर में बटवारे का दावा दायर कर दिया। मेरे जानकारी मे आने पर मेरे द्वारा भी मेरे पक्ष का दावा कर दिया गया। एसडीएम नारायणपुर द्वारा मेरे पक्ष में तकाश्मा आदेश व इजराय आदेश जारी करने पर तहसीलदार नारायणपुर द्वारा हमारी जमीन का नया खाता नम्बर जारी कर दिया गया व राजस्व रिकॉर्ड में नये नम्बर का अंकन कर दिया। उक्त विधि अनुसार की गई

कार्यवाही के विरूद्ध मेरे विक्रेता पक्ष के परिजनो के साथ जितेन्द्र मीणा बाबू द्धारा सांठगांठ कर श्री जितेन्द्र मीणा ने आरएए अलवर में कैवीयट होने पर भी व राजस्व मण्डल अजमेर से अधिकारी/कर्मचारियों से मिलिभगत कर स्टे आदेश जारी करवा दिये। मुझे दिसम्बर माह में स्टे की जानकारी होने पर मै दिनांक 12.12.2024 को श्री जितेन्द्र मीणा जिसे मै पूर्व से जानता था, से सम्पर्क किया तो इन्होने मुझसे स्टे हटवाने के नाम से 3-4 लाख रूपये रिश्वत की मांग की, इस पर मै दिनांक 13.12.2024 को आपके कार्यालय में आपसे आकर मिला और शिकायत दी जिस पर आप द्धारा कार्यवाही करने पर उसी दिन ही मांग सत्यापन करवाया गया। इसके बाद आप द्धारा पुनः मांग सत्यापन दिनांक 07.01.2025 को करवाया गया तो जितेन्द्र मीणा ने मेरे से स्टे हटवाने के लिये बतौर रिश्वत 1.50 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की और रिश्वत लेकर एक दो दिन में आने के लिये कहा। जिस पर आज उसी रिश्वत मांग के क्रम में मुझसे मेरे उक्त कार्य पर स्टे हटवाने की एवज में 1.50 लाख रूपये मांग कर प्राप्त कर रिश्वत राशी गिन ही रहा था इसी दौरान मैने आपको मेरी कार की पार्किग लाईट जलाकर आपको रिष्वति राशी प्राप्त करने का निर्धारित ईशारा कर दिया। इसने आपको गाडी के पास तेजी से आने पर मुझे आपसे बातचीत करते देखकर शक होने से पकडे जाने के भय से रिश्वत राशी को सफेद कपडे की थैली सहित गाडी से नीचे पटक दिये। इस पर आरोपी जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक से पुनः पूछा तो वह कुछ नही बोला और चुप हो गया। तत्पश्चात एडीपी कार्यालय में रखे कैम्पर से साफ पानी मे से एक बोतल में पानी भरवाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 से मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1 R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1 व L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री भास्कर मुख्य आरक्षक 59 से उनके मोबाईल में 32 जी.बी.सैनडिक्स एस.डी कार्ड लगवाई जाकर करवाई गई। जिसकी प्रथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं डीवीडी व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। इसके बाद गवाह श्री राहुल खान के पास सफेद थैली मे रखी हुई दोनो गड्डियों एवं बाहर गिरी हुई 500-500 रूपये की एक गड्डी जो सुरक्षित गवाह श्री राहुल खान के पास रखवाई गई थी, को पेश करने का कहने पर गवाह श्री राहुल खान द्धारा अपने पास से एक 500-500 रूपये के नोटो की गड्डी भारतीय चलन मुद्रा के एवं सफेद रंग की थैली से दो गड्डिया निकलवाकर पेश की उक्त तीनो गड्डियों को दोनो गवाहान से चैक करवाया गया तों उक्त सफेद रंग की थैली के अंदर दो 500-500 के नोटो की गड्डियो होना बताया। तीनो गड्डियों को दोना गवाहान ने देखकर बताया की 500-500 रूपय के 100 नोट कुल 50000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं थैली में जो गड्डी बरामद हुई है, उक्त दोनो नोटो की गड्डी डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 200 नोट कुल एक लाख रूपये होना बताया तथा उक्त बरामद शुदा तीनो गड्डियों मे कुल 1.50 लाख रूपये मिले उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के एवं डमी करेंसी नोटो का मिलान दोनो गवाहान सें कार्यालय मे तैयार की हुई फर्द पेशकषी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के विवरणो सें करवाया गया तो मिलान सही होना पाया गया। बरामदशुदा डमी करेन्सी नोटो की दो गड्डिया (जिसमे 500-500 रूपये के 200 नोट)कुल 200 नोट राशी 1 लाख रूपये उक्त सभी डमी नोटो पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखा हुआ है। 500 रूपये के सभी डमी नोटो पर FULL OF FUN लिखा हुआ है, कोई नम्बर अंकित नही है । बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नम्बरी नोट कुल पचास हजार रूपये एवं डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 200 नोट कुल एक लाख रूपये 02 गड्डियों मे कुल 1.50 लाख रूपये रिश्वती नोटों को रबड बैड लगी गड्डियों को बरामद शुदा सफेद थैली मे वापस रखवाया जाकर उक्त थैली पर परिवादी व दोनो गवाहान व आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, के हस्ताक्षर करवाया जाकर उक्त थैली को मय तीनो गड्डीयो के एक सफेद रंग के कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली के उपर परिवादी, दोनो गवाहान व आरोपी जितेन्द्र मीणा, व संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर तथा कपडे की थैली को सील्ड कर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक कों परिवादी श्री रमन लाल सैनी की जमीन से संबंधित आरएए अलवर द्धारा स्टे आदेश करने की आदेश की पत्रावली आदि रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो उक्त परिवादी से संबंधित पत्रावली आरएए कार्यालय में होना बताया। उक्त रिकॉर्ड बाबत् पृथक से पत्र जारी कर प्राप्त किया जावेगा। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्धारा परिवादी श्री रमन लाल सैनी से प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो

डिजिटल वाईस रिकॉडर में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय की मोबाईल व रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक व परिवादी श्री रमन लाल सैनी को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया तो नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया, इस कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। तत्पश्चात वक्त करीब 9.15 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एवं परिवादी श्री रमन लाल सैनी के सामने आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर से रिश्वत राशी बरामदगी के समय एवं हाथ धौवन की कार्यवाही के समय श्री भास्कर हैड कानि. 59 से उसके मोबाईल मे लगे एसडी मैमोरी कार्ड 32 जीबी सेनडिक्स लगे हुये से विडियोग्राफी करवाई गई। उक्त मोबाईल में लगे एसडी कार्ड 32 जी.बी सेनडिक्स में उक्त कार्यवाही की विडियों क्लिप रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड विडियो क्लिप की डीवीडी बनाने हेतु तीन खाली नई डी0वी0डी0 मगंवाई जाकर तीनो को खाली होना सुनिश्चित कर हैड कानि0 के मोबाइल को लैपटॉप से जोडकर रिकॉर्डशुदा विडियो क्लिप की बारी-बारी से तीन डी0वी0डी0 तैयार की जाकर, उक्त तीनो डीवीडियों में विडियो क्लिप होना सुनिश्चित कर तीनो डी0वी0डी0 पर मार्क- aaV-1, V-2, V-3 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री रमन लाल सैनी के हस्ताक्षर करवाकर डी0वी0डी0 मार्क aaV-1, V-2 को प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित तीनो डी0वी0डी0 को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क aaV-1, V-2 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया तथा तीसरी डी0वी0डी0 मार्क V-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उस, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द जप्ती एसडी कार्ड एवं जब्ती डीवीडियां रिश्वत राशी बरामदगी एवं हाथ धुलाई कार्यवाही की विडियोग्राफी दिनांक 09.01.2025 तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात दिनांक 09.01.2025 को वक्त करीब 10.45 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी की मौजुदगी में आरोपी आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री सुरेष चन्द मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी छाजू वाला कुआ, वीरखाना मोहल्ला, तहसील कार्यालय बानसूर के पास बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड. हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 11.02 पीएम से मन उप अधीक्षक पुलिस मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री भीम सिंह कानि0, दोनो गवाहान. एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप,प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशी के गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना षिवाजी पार्क की हवालात में बन्द करवाने के लिये मय मुल्जिम एडीपी एसीबी कोर्ट अलवर से राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर व पुलिस थाना षिवाजी पार्क अलवर व चौकी के लिये जरिये सरकारी वाहन मय चालाक इन्द्रजीत के रवाना हुआ एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सर्व श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री रामजीत कानि 206, नरेश षर्मा एएओ, श्रीमती सुनीता हैड कानि व परिवादी श्री रमन लाल सैनी को परिवादी की कार व मोटरसाईकिलो से हमराह रवाना हुये। अस्पताल पहूंच आरोपी जितेन्द्र मीणा वरिष्ठ सहायक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई, बाद रिपोर्ट प्राप्त कर राजकीय राजीव गॉधी हास्पिटल से रवाना होकर पुलिस थाना षिवाजी पार्क पहूंच आरोपी जितेन्द्र मीणा को जरिये तहरीर श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक के मार्फत पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर की हवालात में सुरक्षार्थ बंद करवाया गया जिसकी प्राप्ती रसीद सहायक उप निरीक्षक ने पेश की जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। ताबाद पुलिस थाना षिवाजी पार्क के रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर हाजिर आये। जप्तशुदा समस्त आर्टीक्लस भास्कर हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.01.2025 को वक्त करीब 12.30 ए.एम पर गवाह श्री राहुल खांन हाल वरिष्ठ सहायक ,कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व श्री भागचन्द हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर एवं परिवादी श्री रमन लाल सैनी के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के मध्य दिनांक 09.01.2025 को रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री रमन लाल सैनी द्धारा अपनी आवाज व आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की

संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। रिकार्ड वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली नई डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों डीवीडियों पर मार्क B-1 मार्क B-2 एवं मार्क B-3 अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री रमन लाल सैनी के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क B-1व मार्क B-2 को पृथक-पृथक प्लास्टिक के डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे० की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क B-1व मार्क B-2 अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा डीवीडी मार्क B-3 को अनषील्ड ही अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 13.12.2024 व 07.01.2015 एवं 09.01.2025 को परिवादी व आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ता रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उस, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड एवं कांट-छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती डीवीडियां रिश्वत लेन-देन वार्ता, दिनांक 09.01.2025 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 8.00 ए.एम पर परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया की मेरे मोबाईल फोन नम्बर[redacted]पर जब भी आरोपी जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक कार्यालय आरएए अलवर का मेरे पास फोन आया और मेरे द्वारा उसको किये गये फोनो का मैने मेरे मोबाईल में स्क्रीन सॉट लेना एवं उक्त स्क्रीन सॉट श्री रामजीत कानि. के मोबाईल पर भेजे दिये है। परिवादी द्वारा श्रीरामजीत कानि. को भेजे गये स्क्रीन सॉटो का प्रिन्ट लिया जाकर उस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर षामिल कार्यवाही किये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 9.30 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री राहुल खांन हाल वरिष्ठ सहायक ,कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व श्री भागचन्द हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर मय परिवादी श्री रमन लाल सैनी एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मय वाहन सरकारी मय चालक इन्द्रजीत के घटना स्थल का नक्षा मौका मुर्तिब करने हेतु ए0सी0बी0 चौकी अलवर से रवाना होकर समय 9.45 ए0एम0 पर पुरानी कलैक्ट्रट, अलवर के सामने मुख्य द्धारा के सामने (कचेहरी रोड) मुख्य सडक स्थित घटना स्थल पर पहुंचा। जहां पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रमन लाल सैनी की निषादेही से घटना स्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मौके से मय हमराहियान के समय 10.15 ए0एम0 पर घटना स्थल से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय अलवर के लिये रवाना हुआ। वक्त करीब 10.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने बाद घटना स्थल निरीक्षण बाद नक्सा मौका की कार्यवाही के मय हमराही जाप्ता दोनो गवाहान व परिवादी के मय वाहन सरकारी बोलरो मय चालक इन्द्जीत के उपस्थित चौकी आया। इस समय परिवादी से संबंधित रिकोड की प्रमाणित प्रतियां एवं आरोपी का सेवा विवरण उपलब्ध करवाने हेतु पत्रांक स्पेषल-ए आरएए अलवर के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप किया गया। इस समय कार्यालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर से श्री संजीत कुमार वरिष्ठ सहायक, आरएए अलवर के कार्यालय का पत्रांक 1293 दिनांक 10.01.2025 के सलंग्र अपील संख्या 79/23 व 12/24 उनवान मोहनी बनाम मास्टर माइण्ड की प्रमाणित प्रतियां व आरोपी जितेन्द्र मीण, वरिष्ठ सहायक का सेवा विवरण लेकर उपस्थित आये। प्राप्त रिकॉर्ड को जरिये फउर् जप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.50 पी.एम पर पुलिस थाना षिवाजी पार्क अलवर की हवालात मे बंद आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक को लाने हेतु श्री सुण्डाराम हैड कानि. 59, श्री भीम सिंह कानि., जरिये वाहन सरकारी मय चालक इन्द्रजीत के मुनासिफ हिदायत के साथ रवाना किया गया । पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर की हवालात मे बंद आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, वरिष्ठ सहायक को श्री सुण्डाराम हैड कानि. 59, श्री भीम सिंह कानि., जरिये वाहन सरकारी मय चालक इन्द्रजीत हमराह एसीबी कार्यालय अलवर पर लेकर आये। वक्त करीब 4.15 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दांत आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 59 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर षामिल कार्यवाही की गई। इस समय ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शिल्ड माल वजह सबूत समस्त को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुरक्षित हालात में मालखाना में जमा कराने हेतु दुरूस्त हालत मे सम्भलाया गया। वक्त करीब 4.30 पी.एम पर गवाह श्री राहुल खांन हाल वरिष्ठ सहायक ,कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व श्री भागचन्द हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व परिवादी श्री रमन लाल सैनी को बाद कार्यवाही जाये तैनाती/सकूनत पर एसीबी चौकी अलवर से

रवाना किया गया। आरोपी को जैसी माननीय न्यायालय पेश किया जावेगा।अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री सुरेष चन्द मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी छाजू वाला कुआ, वीरखाना मोहल्ला, तहसील कार्यालय बानसूर के पास बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड. हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी श्री रमन लाल सैनी से दिनांक 13.12.2024 व 07.01.2025 को रिश्वत की माँग के सत्यापन के दौरान परिवादी श्री रमन लाल सैनी से उसकी शिक्षा समिति master mind shiksha samiti नारायणपुर के द्वारा संचालित विधालय भवन के लिए दिनांक 30.03.2022 को समिति द्वारा श्री सुरज्ञानी पुत्र हजारी लाल निवासी नारायणपुर की 28.5 बिस्वा खातेदारी भूमी क्रय की गई तथा उक्त भूमी का भुगतान श्री सुरज्ञानी को समिती के चैक से किया गया था। परिवादी द्वारा श्री सुरज्ञानी की जमीन खरीदने के बाद विक्रेता की बहन श्रीमति मोहिनी देवी व चचेरे भाई मंगतराम द्वारा SDM कोर्ट नारायणपुर में बटवारे का दावा लगा दिया, उक्त दावें के बाद परिवादी ने भी SDM कोर्ट नारायणपुर में दावा लगाया। SDM कोर्ट द्वारा उक्त दावों का दिनांक 06.03.2024 को परिवादी पक्ष में तकाश्मा का निर्णय एवं इजराय निर्णय करने पर तहसीलदार नारायणपुर द्वारा दिनांक 12.03.2024 को एसडीएम कोर्ट के आदेश की पालना में तहसीलदार नारायणपुर द्वारा परिवादी की समिति द्वारा क्रय भूमी का पृथक से खाता नं. 190 जारी कर दिया। जिसका राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने के बाद विक्रेता पक्ष के परिजनो द्वारा एसडीएम कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध में एक स्थगन आदेश राजस्व मण्डल अजमेर से एवं दूसरा स्थगन आदेश RAA अलवर द्वारा जारी करवाये जाने पर किये जाने पर आरोपी श्री जितेन्द्र वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी की समिति पर लगाये गये आरएए अलवर कार्यालय के स्थगन आदेश व राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश को हटवाने के एवजं में दिनांक 13.12.2024 व 7.01.2025 को 1.50 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं दिनांक 07.01.2025 को मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 2000/-रूपये की रिश्वत राशी प्राप्त करना एवं उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 09.01.2025 को परिवादी से कचेहरी रोड पुरानी कलैक्ट्रेट के गेट के सामने परिवादी की नेक्सोन कार नम्बर आर-जे 32 सीबी 0410 में बैठकर 1.50 लाख रूपये की रिश्वत राशी मांग कर मय रिश्वत राशी रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना पाया जाता है।अतः श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री सुरेश चन्द मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी छाजू वाला कुआ, वीरखाना मोहल्ला, तहसील कार्यालय बानसूर के पास बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड. हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है।भवदीय(महेन्द्र कुमार)उप अधीक्षक पुलिसभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोअलवर प्रथम अलवर ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप अधींक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री सुरेश चन्द मीणा उम्र 27 साल निवासी छाजू वाला कुआ, वीरखाना मोहल्ला, तहसील कार्यालय बानसूर के पास बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड. हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल , उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाड़ी को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 183 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 33-36 दिनांक 11-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2-निबधंक राजस्व मण्डंल अजमेर राजस्थान। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर -प्रथम अलवर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 1[illegible]9

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)